8/5/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र को जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है से मूल वाद के साथ-साथ स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो रकम व नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:46:13 IST
Reason: SelfAttested

ायक कलक्टर
(...-टेक) चौहटन